सरकार देगी प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी

अमर उजाला संवाद में सामने आई उद्यमियों की चिंता पर औद्योगिक विकास मंत्री ने दिया आश्वासन

अमर उजाला ब्यूरो

उद्यमियों की समस्याओं का समाधान जरूरी

अमर उजाला संवाद में उद्यमियों ने उठाई थी मांग। 9 जनवरी के अंक में प्रकाशित खबर।

लखनऊ। इन्वेस्टर्स समिट के माहौल में उद्यमियों की उम्मीदों को जानने के लिए अमर उजाला की ओर से रविवार को एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डालीबाग कार्यालय में शहर के प्रमुख उद्यमियों ने संवाद के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए थे। उन मुद्दों को जब प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के सामने रखा गया तो उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सहयोग का पूरा आश्वासन उद्यमियों को दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन गारंटी और जमीन को लेकर सबसे बड़ी चिंता दूर करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा का भरोसा दिलाती है, साथ ही जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उद्यमी निश्चिंत रहें।

निवेश मित्र पोर्टल के जरिए जमीन आवेदन का प्रावधान होगा : कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि उद्योगों के लिए पहली जरूरत जमीन की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास बड़ा लैंड बैंक उपलब्ध है। कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, डवलपमेंट, रक्षा उत्पादन आदि के लिए प्रदेश में संभावनाएं हैं। विवादित जमीन के कारण उद्यमियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नई औद्योगिक नीति में भूमि बैंक निर्माण को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। जमीन की पूलिंग को बढ़ावा देना, भूमि का पुनर्ग्रहण कर ऐसे प्रतिष्ठानों को जिलाधिकारी अधिसूचित सर्किल रेट के भुगतान पर 30 वर्ष की अवधि तक पट्टे पर उपलब्ध कराने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन का प्रावधान किया जाएगा। उद्यमियों को अब दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। उद्यमियों की सहूलियत के लिए ही निवेश मित्र, निवेश सारथी और इनसेंटिव मैनेजमेंट पोर्टल शुरू किया गया है।

स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रों के सुंदरीकरण के निर्देश

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट जारी किया गया है। जिसके आधार पर जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के सुंदरीकरण के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन गारंटी

उद्यमियों का कहना है कि निवेश करने वाले इससे डरते हैं कि सरकारी स्तर पर कोई बदलाव होता है तो उसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ता है। इसी डर के कारण उद्यमी चाहते हैं कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट की गारंटी मिले। इसके तहत वे ये मांग कर रहे हैं कि यदि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलीं तो वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। एक तरह से यह प्रोजेक्ट के बीमा की तरह है।